International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
Received: 09-07-2020; Accepted: 24-07-2020; Published: 10-08-2020
www.educationjournal.org
Volume 5; Issue 4; 2020; Page No. 32-35

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षाः सुरक्षा परिषद् की भूमिका

आनन्द अरोड़ा
विधि विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की 'प्राथमिक जिम्मेदारी' व व्यापक शक्तियाँ सुरक्षा परिषद् को प्रदान की। सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगो में से एक प्रमुख अंग है। सुरक्षा परिषद् ने शान्ति भंग होने या शान्ति भंग होने की आशंका उत्पन्न होने पर शान्ति स्थापित करने हेतु कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ करके अपना योगदान प्रदान किया। हालांकि कई मामलों में इस संस्था ने प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही करके सफलता प्राप्त की लेकिन सफलता के साथ–साथ सुरक्षा परिषद् को असफलताएं भी प्राप्त हुई। असफलता का मुख्य कारण महाशक्तियों में आपसी संघर्ष का होना एवं सहयोग का अभाव तथा स्थायी सदस्य द्वारा बार–बार निषेाधिकार का प्रयोग करना है। वर्तमान मे सुरक्षा परिषद् में व्याप्त दोषों एवं दुर्बलताओं को देखते हुए अधिकांश राष्ट्रों ने इसके पुर्नगठन एंव विस्तार की मांग करना प्रारम्भ किया।
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु सुरक्षा परिषद् किस प्रकार अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हैं तथा कैसे एक ऐसी विश्व व्यवस्था स्थापित करने में सफल हो सकती हैं, जिससे कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करने का साहस न कर सके। इस हेतु सुरक्षा परिषद् में मतदान की व्यवस्था मे सुधार, सदस्यता सम्बन्धी प्रावधानों में सुधार, भारत को स्थाई सदस्य बनाया जाना, आचार संहिता का निर्माण, शान्ति कायम रखने हेतु कोष की स्थापना विशेष करार का होना तथा स्थाई सदस्यों की मानसिकता में स्वस्थ परिवर्तन का होना आवश्यक है। उपर्युक्त आदि कारणोंसे इस विषय पर शोध महत्वपूर्ण हो जाता है।

मूल शब्द अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शान्ति

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही भविष्य में युद्ध न हो तथा शान्ति एवं सुरक्षा बनी रह सके इसके लिए निरन्तर प्रयास किये जाते रहे है। लेकिन इस कार्य को सम्पन्न करने में पूर्ण रूप से अभी तक सफलता प्राप्त नही हुई है। वर्तमान समय में युद्ध के परिणामों को जानने एंव समझने के बावजूद भी शस्त्रों की असीम शक्ति से युक्त राष्ट्रो ने मानवता की शान्ति एवं सुरक्षा से सम्बन्धित मांग को दरकिनार करते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु दूसरे कमजोर राष्ट्र को अपने आधिपत्य में लेने के लिए किसी न किसी रूप मे आक्रामक कार्यवाही करके शान्ति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर दिया है।

वास्तविक रूप से यदि देखा जाये तो वर्तमान में ऐसी स्थिति से निपटना प्रत्येक राष्ट्र के समक्ष एक गम्भीर एवं मुख्य समस्या है। क्योंकि अब तक जो भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा से सम्बन्धित सन्धि की गई एवं इसके पश्चात राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लेकिन वे किसी न किसी कमी के कारण असफल सिद्व हुई।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में विश्व को शान्ति, सह अस्तित्व व सुरक्षा के आश्वासन दिए गए हैं, हालांकि वे कार्य अब तक पूरे नही हो पाये हैं, किन्तु आज भी अपनी सारी असफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् मानवता के लिए आशाओ का केन्द्र है। अतः वर्तमान समय में संस्था के असफल होने के कारणों का पता लगा कर इनकी कमियों को दुर करना अत्यंत आवश्यक है।

उद्देश्यः–संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एंव सुरक्षा स्थापित करना एवं उसे बनाये रखना हैं अतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने में बाधा उत्पन्न होने पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा तुरन्त एवं प्रभावशाली कार्यवाही करने के लिए सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की 'प्राथमिक जिम्मेदारी'; सुरक्षा परिषद् को प्रदान की। सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगो में से एक प्रमुख अंग है।

स्थापनाः–डम्बरटन ऑक्स सम्मेलन में इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया गया था कि एक ऐसी कार्यपालक अंग की स्थापना की जाये, जिसकी सदस्यता सीमित हो तथा जिसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी जा सके। तत्पश्चात सैन–फ्रान्सिसको सम्मेलन में अन्तिम रूप से सुरक्षा परिषद् को विश्व शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए प्रमुख अंग के रूप में स्थापित करने का निश्चय किया एवं 12 जनवरी 1946 को सुरक्षा परिषद् की स्थापना की गई। उस समय सुरक्षा परिषद् के सदस्यों की संख्या 11 थी।

वर्तमान में सुरक्षा परिषद् में कुल 15 सदस्य हैं 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रान्स तथा ब्रिटेन इसके स्थायी सदस्य हैं तथा 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। पूर्व में भारत भी 7 बार सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य रह चुका है। वर्तमान में भारत को 2021–2022 के लिए 8 वी बार सुरक्षा परिषद् का अस्थाई सदस्य चुना गया है। भारत को सुरक्षा परिषद् का अस्थाई सदस्य नियुक्त करने हेतु 192 सदस्यों में से 184 सदस्यों ने अपना समर्थन (वोट) दिया।[3] वर्तमान में स्थायी सदस्या प्राप्त करने का प्रबल दावेदार है। भारत को स्थाई सदस्यता प्रदान करने हेतु कई राष्ट्रों ने अपना समर्थन भी दिया है।

शक्तियाँः–सुरक्षा परिषद् का प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखना तथा इस उद्देश्य के लिए प्रभावकारी सामूहिक कार्यवाही करना है। चार्टर मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया हैं कि अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सभी राज्य दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय अखण्डता तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता का आदर करेंगे तथा ऐसा कोई कार्य नही करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के विपरित हो। इस सन्दर्भ में सुरक्षा परिषद् को विस्तृत अधिकार प्रदान किये गये हैं तथा अनुच्छेद 25

में यह स्पष्ट किया गया कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद् के निर्णयों का पालन करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद् को सामूहिक कार्यवाही करने का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक हैं कि सुरक्षा परिषद् पहले यह निश्चय करे कि शान्ति के लिए खतरा है अथवा शान्ति का उल्लंघन हुआ हैं अथवा किसी राज्य ने आक्रामण किया है। यदि किसी विवाद से विश्व–शान्ति और सुरक्षा को खतरा हो और सम्बन्धित पक्ष अपना झगड़ा स्वंय निपटाने में असफल रहे तो सुरक्षा परिषद् विवाद से सम्बन्धित पक्षकार से वार्ता, जांच, मध्यस्थता, पंच निर्णय, न्यायिक निर्णयों, प्रादेशिक संस्थाओं या व्यवस्थाओं व अपनी इच्छानुसार शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा विवाद के निपटारे की सिफारिश कर सकती है। वर्तमान समय में शान्तिपूर्ण ढंग से विवाद का निपटारा करने का राज्य का कर्तव्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि का रूढ़िगत नियम बन गया है।[4] परन्तु यदि इससे समस्या का समाधान नही होता हैं तो चार्टर के अनु. 41 के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् को अधिकार प्राप्त हैं कि वह सदस्य राज्यो से यह कह सकती हैं कि वे शान्ति के उल्लंघन करने वाले देशों से आर्थिक, आवागमन तथा राजनैतिक सम्बन्ध आदि विच्छेद कर दे। यदि इससे समस्या का समाधान नही होता हैं तो चार्टर के अनुच्छेद 42 के तहत सुरक्षा परिषद् को यह शक्ति प्राप्त हैं कि वह उल्लंघन करने वाले राज्य के विरूद्व वायु, समुंद्र तथा स्थल सेनाओ का प्रयोग करके अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखे अथवा पुनः स्थापित करे।

सुरक्षा परिषद् की भूमिकाः– सुरक्षा परिषद् ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 तथा 7 के तहत शान्ति स्थापित करने हेतु कई महत्वपूर्ण कार्यवाहीयाँ करके उसमें सफलता प्राप्त करते हुए अपना योगदान प्रदान किया। सुरक्षा परिषद् के विशाल राजनीतिक दबाव ने ईरान, सीरिया, लेबनान, बर्मा, अफगानिस्तान आदि से विदेशी सेनाओं को हटाने एंव बर्लिन के घेरे को समाप्त करने में सहायता की इसके अतिरिक्त मध्यस्थता द्वारा नीदरलैण्ड और इण्डोनेशिया के संघर्ष को समाप्त किया।[5] पश्चिम देशों की समस्या को सुलझाया, फिलीस्तीन और ईरान–इराक मामले में हस्तक्षेप करके युद्व विराम कराया, आपातकालीन सेनाओं के माध्यम से स्वेज नहर संकट को दूर कर दिया तथा कांगो की एकता को बनाये रखा। इसके अलावा दक्षिण रोडेशिया में दण्डात्मक हस्तक्षेप किया। शान्तिपूर्वक और मौन कूटनीति के कारण 1988 में अफगानिस्तान का गम्भीर विवाद शान्त हुआ, रूसी सेनाये स्वदेश वापिस लौटी, नामीबिया को स्वाधीनता दिलाने और वहां 1990 में लोकतान्त्रिक शासन स्थापित करने में कामयाबी मिली। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की आड़ में अमरीका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्ति दिलाई। इसके अलावा सोमालिया में राहत पंहुचाने और युद्वरत गुटों को निःशस्त्र करने के लिए ''ऑपरेशन रेस्टोर होप'' शुरू किया गया। कम्बोडिया में मई 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख मे आम चुनाव कराये गये और वहां राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। फरवरी 2006 में लेबनान के ऊपर इजरायली हमले को रोकने हेतु भी प्रस्ताव पारित किया गया तथा वहां रेडक्रॉश की सहायता द्वारा सहयोग प्रदान किया। इसी प्रकार स्वेज नहर, खाडी संकट, कोरिया आदि मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[6] इसके अलावा अमेरिका इराक पर 2003 में विनाशकारी शस्त्रों के संग्रह का आरोप लगाकर युद्व आरम्भ करने लगा तब भी ऐसी स्थिति से निपटने हेतु एक प्रतिनिधि मण्डल ईराक से विनाशकारी शस्त्रों के संग्रह के बारे में जांच करने हेतु भेजा।[7]

लेकिन भारत के सन्दर्भ में देखा जाये तो आज तक भारत पाक संघर्ष रोकने तथा कश्मीर समस्या का कोई राजनैतिक हल निकालने मे सफल नही हुई। भारत पाक संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की प्रतिष्ठा बहुत गिरी तथा लोगो को इस विश्व संस्था के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता के विषय में सन्देह होने लग गया। अतः भारत पाक संघर्ष के मामले मे सुरक्षा परिषद् ने बहुत से लोगों के विश्वास को धक्का पंहुचाया है।[8] हालांकि इसमें मुख्य कारण स्थाई सदस्यों में संघर्ष तथा वीटो (निषेधाधिकार) का प्रयोग था।

सुरक्षा परिषद् की सहायता के लिए एक सैनिक स्टाफ समिति का भी प्रावधान हैं सभी राष्ट्रों का कर्तव्य हैं कि सुरक्षा परिषद् के मांगे जाने पर अपनी सेना सहायता के लिए दे। परन्तु चार्टर के प्रावधान के अनुसार इसके लिए विशेष समझौता होना आवश्यक है। लेकिन महाशक्तियों के संघर्ष तथा पारस्परिक असहयोग के कारण यह विशेष समझौते अब तक नही हो पाये तथा सैनिक स्टाफ समिति से सम्बन्धित प्रावधान भी महत्वहीन हो गये हैं।[9]

हालांकि कई मामलो में सुरक्षा परिषद् ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अच्छा सहयोग प्रदान किया हैं लेकिन सुरक्षा परिषद् को सफलताओ के साथ–साथ असफलताए भी मिली है। वास्तव में देखा जाये तो चार्टर के अन्तर्गत शान्ति और सुरक्षा के विषय में सुरक्षा परिषद् को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु महाशक्तियों के आपसी संघर्ष तथा असहयोग के कारण सुरक्षा परिषद् उन शक्तियों का उचित प्रयोग नही कर पायी है। शक्तियों के प्रयोग में सबसे बड़ी बाधा महाशक्तियों द्वारा निषेधाधिकार (वीटो) के प्रयोग से हुई है। साथ ही सुरक्षा परिषद् जब उत्तर व दक्षिणी कोरिया के मामले में कार्यवाही करने में असफल रही तब महासभा ने शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव द्वारा सुरक्षा परिषद् की शक्तियों को प्रयोग में लाना प्रारम्भ कर दिया। शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव के सम्बन्ध में डॉ. नगेन्द्र सिंह के अनुसार महासभा ने न केवल संयुक्त राष्ट्र के अंगो में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया हैं वरन् वह राज्यों के विश्व समुदाय में प्रजातन्त्रात्मकता का प्रतीक इस सीमा तक हो गई हैं कि सुरक्षा परिषद् निषेधाधिकार से युक्त होने पर भी अनेक मामलो में महासभा से न्यून हो गई है।[10] अतः इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाती हैं कि इस संस्था को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाये कि जिस मूल उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था उस हेतु प्रभावी रूप से कार्य कर सके।

सुरक्षा परिषद् को अधिक कारगर बनाने हेतु सुझावः–अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु सुरक्षा परिषद् विश्व के राष्ट्रों का अभिन्न अंग बन गया है। इस सम्बन्ध में एक लेखक ने यह लिखा हैं कि ''गम्भीर विवादो और परस्पर विरोधी राष्ट्रीय स्वार्थों के खतरनाक टकराव के इस युग में यही एक मंच बचा हुआ हैं, जो विश्व को पूर्ण व्यवस्था और अराजकता के दौर से बचाने के लिए एक आशा प्रदान करता है और इसलिए गम्भीर खामियों के बावजूद विश्व के अधिकाशं राष्ट्र इस संस्था को जिन्दा रखना चाहते है।[11]''

अतः वर्तमान में सुरक्षा परिषद् मे व्याप्त दोषों एवं दुर्बलताओं को देखते हुए अधिकांश राष्ट्रों ने इसके पुर्नगठन एवं विस्तार की मांग करना प्रारम्भ किया। जिससे सुरक्षा परिषद् और अधिक सुचारू रूप से कार्य कर सके।

1. **सुरक्षा परिषद् में मतदान की व्यवस्था में सुधारः–** चार्टर के अनुच्छेद 27 में सुरक्षा परिषद् में मतदान की व्यवस्था में ''प्रक्रिया सम्बन्धी ;च्तवबममकनतंस उंजजमतेद्ध तथा ''अन्य सभी विषय'' ;व्द ंसस वजीमत उंजजजमतेद्ध शब्द का प्रयोग हैं, लेकिन कौन से मामले ''प्रक्रिया सम्बन्धी'' माने जायेंगे और कौन से नही, यानि किन मामलो में बड़े राष्ट्रों अर्थात् स्थाई सदस्यों द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार हो और किन मामलों में नही। इसका निर्णय भी सुरक्षा परिषद् स्वयं ही करती है और इन निर्णयों के लिए भी पांचों बड़े राष्ट्रों की सहमति आवश्यक होती है। यदि कोई बड़ा राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को किसी भी मामले मे फैसला करने से रोकना चाहता हैं तो अपने निषेधाधिकार

द्वारा उसे गैर प्रक्रिया सम्बन्धी घोषित करा सकता है और उस पर निषेधाधिकार का दुबारा प्रयोग करके निर्णय तथा कार्यवाही को रोक सकता हैं। परिणामस्वरूप यदि देखा जाये तो सुरक्षा परिषद् केवल ऐसे मामलो पर विचार कर सकती है और निर्णय कर सकती हैं अथवा केवल ऐसी कार्यवाही कर सकती हैं जिसे पांचो बड़े राष्ट्रो की सहमति प्राप्त हो। यह व्यवस्था अत्यन्त अनिश्चित और अस्पष्ट है। इसकी अस्पष्टता से ही वीटो का बहुत अधिक प्रयोग हुआ। अतः वीटो के प्रयोग को कम करने के लिए इस व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करके उन्हें अधिक स्पष्ट बनाना जरूरी है। इसके लिए दोनो विषयों को अलग–अलग भागों में बांटा जाना चाहिए तथा यह निश्चित होना चाहिए कि कौन से विषय ''प्रक्रिया सम्बन्धित'' है तथा कौन से महत्वपूर्ण है।

2. **नये सदस्य राष्ट्रों की सदस्यता सम्बन्धी प्रावधानों मे सुधारः–** किसी भी संगठन की सदस्यता सम्बन्धी नीति उसके उद्देश्य, लक्ष्य और प्रभावकारिता को प्रकट करती हैं। यदि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता विश्व के सभी देशों के लिए खुली हुई न हो तो संगठन विश्वव्यापी नही बन सकेगा। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 4 में सदस्यता के लिए दो शर्त रखी गयी है। पहली शर्त यह है कि सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक राज्य का शान्ति प्रेमी होना तथा चार्टर में दिये गये दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और योग्यता होनी चाहिए। इसकी दूसरी शर्त ऐसे किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा के निर्णय के द्वारा प्राप्त होगा। इस शर्त के कारण सदस्यता को लेकर संघ के अन्दर कई विवाद उठे है। सुरक्षा परिषद् मे सोवियत संघ तथा पश्चिमी राज्य अपनी अपनी स्थिति सुदृढ़ करते हुए अपने विरोधी राज्यों के संघ में प्रवेश का विरोध करते रहे और इस पर कई बार वीटो का प्रयोग किया गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों द्वारा सदस्यता के प्रश्न पर संविधानिक दृष्टिकोण नही अपनाया जाता रहा है। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्दर दोनो गुटों के बीच भंयकर कटुता उत्पन्न हुई और संघ में सब देशों का प्रतिनिधित्व भी नहीं हुआ। अतः इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने हेतु यह आवश्यक हैं कि चार्टर में संशोधन कर सदस्यता के मामले में सुधान किया जाना चाहिए तथा निर्णय साधारण बहुमत द्वारा होना चाहिए।

3. **विशेष करार की आवश्यकता पर बलः–**सुरक्षा परिषद् के लिए एक सैनिक स्टाफ समिति का भी प्रावधान है। सभी राष्ट्रों का कर्तव्य हैं कि सुरक्षा परिषद् के मांगे जाने पर अपनी सेना सहायता के लिए दे। परन्तु चार्टर के प्रावधान के अनुसार इसके लिए विशेष करार या समझौता होना आवश्यक हैं लेकिन महाशक्ति के संघर्ष तथा पारस्परिक असहयोग के कारण यह विशेष समझौते अब तक नही हो पाये है। विशेष समझौते के अभाव में इस प्रावधान का महत्व समाप्त हो जाता है। इस सम्बन्ध में प्रो. गुडरिच तथा साइमन्स के अनुसार पारस्परिक भय तथा सन्देहों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक शक्ति की स्थापना के प्रयास असफल सिद्व हुए है तथा सैनिक स्टाफ समिति से सम्बन्धित प्रावधान भी महत्वहीन हो गये है।[12] अतः विशेष करार करने की असफलता तथा सैन्य कर्मचारी समिति की निष्क्रियता ने सुरक्षा परिषद् को किसी राज्य के विरूद्व सामूहिक कार्य करने में असमर्थ बना दिया है। इस व्यवस्था में सुधान किया जाना अत्यंत आवश्यक हैं साथ ही सुरक्षा परिषद् के लिए अपनी सैना का भी प्रावधान होना चाहिए, जिससे वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने में तुरन्त एवं प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सके।

4. **वीटो की व्यवस्था मे सुधारः–** एक तरफ तो चार्टर में सार्वभौमिकता एंव समानता के सिद्वान्त पर बल दिया गया है, वही दूसरी ओर कुछ राज्यो को विश्व संस्था में विशिष्ट स्थान तथा वीटो शक्ति देकर उस सिद्वान्त का उल्लंघन किया गया हैं। इसके अलावा वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यों का आधिपत्य जम गया है और बहुमत का कोई महत्व ही नहीं रहा है। अतः निषेधाधिकार की व्यवस्था को समाप्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं क्योंकि जब स्थाई सदस्यो को वीटो का अधिकार दिया गया था तब स्थिति दूसरी थी लेकिन अब उस स्थिति में काफी परिवर्तन आ चुका हैं स्थायी सदस्यों की नियत में खोट के कारण बार–बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाकर सुरक्षा परिषद् को अपनी कार्यवाही करने में असफल बना दिया जाता है। निषेधाधिकार का प्रयोग 1946 से 1990 के बीच 194 बार किया गया था।[13] वर्तमान में मार्च 2020 तक कुल 293 बार स्थाई सदस्यों द्वारा वीटो का प्रयोग हुआ।[14] अतः वीटो की व्यवस्था मे सुधार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

5. **सुरक्षा परिषद् को अधिक प्रतिनिधिक संस्था बनाये जाने की आवश्यकताः–** वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्वव्यापी संस्था है। पिछले लगभग पचास वर्षो मे इसके सदस्यों की संख्या मे अत्यधिक वृद्वि हुई है। इसके सदस्यों की संख्या वर्तमानमें 193 हैं पूर्व में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या मात्र 50 थी उस समय भी सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 थी तथा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 193 हैं तब भी स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। अतः यह असंगतिपूर्ण एंव अलोकतान्त्रिक है। सुरक्षा परिषद् महासभा की कार्यकारिणी हैं और वह उसी की देखरेख या निगरानी में कार्य करती हैं परन्तु यह विश्व की शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धी कार्यो को तभी सुचारू रूप से निभा सकती हैं जब वह सदस्य देशों, उनके आकार, विविध भौगौलिक क्षेत्रों और विकसित एवं विकासशील देशों का सही प्रतिनिधित्व करे। इसके निर्णयों को अधिकाधिक वैद्य, नैतिक और राजनीतिक रूप से कारगार बनाने के लिए इसके स्थायी सदस्यों की संख्या बढाना आवश्यक है।

6. **भारत को स्थाई सदस्यता प्रदान करनाः–**भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को एक विश्व व्यापक संस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक अधिवेशन में भारत अपने कुछ न कुछ प्रस्ताव अवश्य रखता आ रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र को सफलता दिलाने हेतु भारत ने हमेशा सहयोग व समर्थन प्रदान किया एवं उसको जब भी सेना की आवश्यकता पड़ी तब भारत ने प्रदान की है। इस संस्था के प्रति भारत के अटूट विश्वास का प्रबल प्रमाण भारत पाकिस्तान युद्व के समय सुरक्षा परिषद् के युद्व विराम प्रस्तावों का भारत द्वारा तत्काल स्वीकृति है। जहां पाकिस्तान ने इन प्रस्तावों को मानने में आनाकानी की वहां भारत ने युद्व में विजयी होते हुए भी सुरक्षा परिषद् के आदेशों को सहर्ष स्वीकार करने में जरा भी संकोच का प्रदर्शन नही किया।[15]

पूर्व मे भारत भी 7 बार सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य रह चुका है। वर्तमान मे 2021–2022 के लिए 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। साथ ही वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद् में स्थाई सदस्यता प्राप्त करने का प्रबल दावेदार हैं इस हेतु कई देशों ने भारत का समर्थन किया हैं जिसमें जापान, ब्रिटेन, जमर्नी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूकरेन की सरकार आदि कई प्रमुख देश

है। वैसे भारत के पक्ष में समर्थन धीरे–धीरे बढ़ रहा है। अतः वर्तमान मे भारत को स्थाई सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह सुरक्षा परिषद् को अपना योगदान प्रदान कर सक्रिय भूमिका निभाने मे सफलता दिला सके।

7. **शान्ति कायम रखने हेतु कोष की स्थापनाः–** अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु जो मिशन स्थापित किये गये उसमें उनके द्वारा की जाने वाली सैनिक कार्यवाही हेतु (जिसमे खाद्य सामग्री एवं दवाईंया आदि सहायता पंहुचाने के लिए) सैनिक सामग्री के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इस सम्बन्ध मे वाशिंगटन की एक संस्था वर्ल्डवाच ने फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से इस सम्बन्ध में अध्ययन किया तथा सुझाव दिया कि एक घुमता हुआ शान्ति कायम रखने वाला आरक्षित 400 मिलियन अमेरिकन डॉलन का फन्ड स्थापित किया जाये। एक बार वार्षिक अनुदान के स्थापन पर भुगतान चार किश्तों में लिया जाये। मेरे विचारो से भी यह सुझाव काफी अच्छे है तथा इन पर गम्भीरता से विचार किया जाकर उसे लागू किया जाना चाहिए।
8. **आचार संहिता का निर्माणः–** सुरक्षा परिषद् के आदेशों की पालना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के लिए नैतिकता सम्बन्धी किसी आचार संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे की समस्त विश्व की शान्ति एंव सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
9. **स्थायी सदस्यों की मानसिकता में स्वस्थ परिवर्तनः–** सुरक्षा परिषद् की प्रतिक्रिया महाशक्तियों के संबंध तथा संघर्षों पर निर्भर करती हैं सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यों के पारस्परिक भेदभाव तथा संघर्षों के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् कोई भी प्रभावकारी कार्यवाही करने में असफल हो जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधान इस परिकल्पना पर रखे गये थे कि महाशक्तियां आपस में सहयोग करेगी, लेकिन इसके कुछ समय पश्चात ही उनमें आपसी संघर्ष होने लगा, जिससे वह अपने कार्य को करने में असफल हुई। सुरक्षा परिषद् की असफलता चार्टर के प्रावधानों मे किसी संवैधानिक दोष के कारण न होकर अधिकतर सदस्यों के दृष्टिकोण के कारण हुई।[16] अतः जब भी कभी स्थाई सदस्यों मे आपसी सहयोग होता हैं, तथा किसी समस्या के प्रति उनकी सर्वसम्मति होती हैं तो सुरक्षा परिषद् प्रभावी कार्यवाही करने में समर्थ हो सकती है। अतः सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों द्वारा अपने आपसी संघर्ष को बीच में नहीं लाना चाहिए तथा अपने संघर्ष को समाप्त कर सुरक्षा परिषद् को सफल बनाने में योगदान प्रदान करना चाहिए। जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनी रह सके तथा वह अपने कार्य क्षेत्र मे सफलतापूर्वक वृद्वि करके एक अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपालिका बन सके।

स्न्दर्भ सूची

1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर
2. अनुच्छेद 23
3. अनुच्छेद 27 (1)
4. जी न्यूज डेस्क 18 जून 2020
5. आई.सी.जे. रिपोर्टस 1986 पृ. 14
6. डॉ. एस. के. कपूर–इन्टरनेशल लॉ
7. यू. एन. न्यूज लेटर
8. यू. एन. न्यूज लेटर
9. के.पी. मिश्र– द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द इण्डोः पाकिस्तान 1971 पृ. 141
10. गुडरिच–द युनाईटेड नेशन्स एण्ड मेन्टीनेन्स ऑफ पीस एण्ड सिक्योरिटी पृ. 398–405
11. नगेन्द्र सिंह, रिसेन्ट ट्रेन्डस इन द डेवलपमेन्ट ऑफ इन्टरनेशल लॉ एण्ड वल्ड पीस (1969) पृ. 15
12. दिनमान दिनांक 3–9 नवम्बर 1985 पृष्ठ सं. 16
13. यूनाइटेड नेशन्स एण्ड मेन्टीनेन्स ऑफ पीस एण्ड सिक्योरिटी पृ. 398–405
14. एच.ओ. अग्रवाल '' अन्तर्राष्ट्रीय विधि पृ. 361''
15. सुरक्षा परिषद् रिपोर्ट 1 मार्च 2020
16. डॉ. दीनानाथ वर्माः अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पृ. 276, 277
17. डी. डब्ल्यू. बावेट द लॉ ऑफ इन्टरनेशल इन्स्टीट्यूशन (1970) पृ. 25